



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, MONDAY, JULY 14, 2014
(ASADHA 23, 1936 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 14th July, 2014

No. 32—HLA of 2014/68.—The Code of Criminal Procedure (Haryana Amendment) Bill, 2014, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 32—HLA of 2014

**THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (HARYANA AMENDMENT)
BILL, 2014**

A

BILL

*further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973 in its
application to the State of Haryana.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Code of Criminal Procedure (Haryana Short title Amendment) Act, 2014.

Amendment of
First Schedule
to Central Act 2
of 1974.

2. In the Code of Criminal Procedure, 1973 in its application to the State of Haryana, in the First Schedule, in the table, after section 379, the following entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6
"379-A	Snatching	Rigorous imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to ten years, and fine of Rs. 25,000/-	Cognizable	Non-bailable	Court of Session
379-B	Snatching with hurt or wrongful restraint or fear of hurt.	Rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years and which may extend to fourteen years, and fine of Rs. 25,000/-	Ditto	Ditto	Ditto".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

For some time past, the incidents of snatching especially from women and business persons have been reported from various parts of the State. Such incidents create a sense of fear and insecurity in them. Criminals often take advantage of shortcomings in the existing laws to get away lightly in the event of their arrest. At present, no specific section has been provided in the Indian Penal Code of snatching incidents. Cases are being registered under Section 356 IPC which deals with assault or criminal force in attempt to commit theft of property carried by a person. Maximum punishment of Section 356 is two years, or with fine, or with both. As is evident, the quantum of punishment is not deterrent enough to discourage criminals from committing snatching offences.

To curb the menace of criminals indulging in snatching incidents and to instil a sense of security in the women and business persons. It is necessary in the public interest to make stringent provisions in the existing laws.

PT. SHIV CHARAN LAL SHARMA,
Minister of State for Labour & Employment, Haryana.

Chandigarh :
The 14th July, 2014.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2014 का विधेयक संख्या 32-एच.एल.ए.

दण्ड प्रक्रिया संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2014
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, हरियाणा राज्यार्थ,
को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

शिक्षित नाग।

1. यह अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2014, कहा जा सकता है।

1974 के केन्द्रीय अधिनियम 2 की प्रथम अनुसूची का संशोधन।

2. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, हरियाणा राज्यार्थ, में प्रथम अनुसूची में, तालिका में, धारा 379 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6
279क	छीनना	अदधि जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, के लिए कठोर कारावास तथा 25,000/-- रुपये का जुर्माना।	संज्ञेय	अज्ञमानतीय	सत्र न्यायालय
379ख	उपहति या अपराध या उपहति के डर सहित छीनना	अदधि जो दस वर्ष से कम नहीं होगी तथा जो चौदह वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, के लिए कठोर कारावास तथा 25,000/-- रुपये का जुर्माना।	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

पिछले कुछ समय से राज्य के विभिन्न हिस्सों से छीना झपटी की, विशेषकर महिलाओं और व्यापारिक व्यक्तियों से, घटनाएं ध्यान में लाई गई हैं। इस तरह की घटनाएं उनमें डर और असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं। अपराधी अवसर गिरफ्तारी की सूत्र में मौजूदा कानून में कमियां का लाभ उठा कर बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वर्तमान में छीना झपटी की घटनाओं के लिये भारतीय दण्ड संहिता में किसी विशिष्ट धारा का प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसे अपराधों को भा.द.सं. की धारा 356, जो किसी व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती बल प्रयोग द्वारा उसकी संपत्ति की चोरी से संबंधित है, के अन्तर्गत दर्ज किया जाता है।

धारा 356 के अन्तर्गत अधिकतम दो वर्ष, या जुर्माना, या दोनों की सजा का प्रावधान है। जैसा कि स्पष्ट है, सजा की मात्रा ऐसे अपराधों से अपराधियों को हतोत्साहित करने के लिये पर्याप्त नहीं है। अपराधियों द्वारा की जाने वाली छीना झपटी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिये और महिलाओं और व्यापारिक व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिये जनहित में मौजूदा कानूनों में कड़े प्रावधान करने की सख्त आवश्यकता है।

पंडित शिव चरण लाल शर्मा,
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 14 जुलाई, 2014.

सुमित कुमार,
सचिव।